

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 11, 2026**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2021-280 dated 24.02.2021, as amended from time to time, the State Government hereby determines the rates for assessment of market value of the following categories of land for whole of the State as under:-

1. Rates of land for industrial purposes

Rates of industrial land in RIICO industrial area or land converted for industrial purposes or agriculture land being used for industrial purposes shall be,-

- (i) equal to the rates determined by RIICO in RIICO Industrial Area; and
- (ii) equal to three times of the rates of agriculture land of that area in other cases but if such rates are more than the rates determined by RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

2. Rates of land for institutional, residential and commercial purposes in RIICO Industrial Area

Rates of institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall be,-

- (i) equal to the rates of industrial land determined by RIICO in case of institutional land;
- (ii) equal to two times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of residential land; and
- (iii) equal to four times of the rates of industrial land determined by RIICO in case of commercial land.

3. Rates of land for institutional purposes outside RIICO Industrial Area

Rates of land converted for institutional purposes or agriculture land is being used for institutional purposes shall be equal to 1.5 times of the rate of agriculture land of that area.

Explanation: (i) In areas where rates of agriculture land are not recommended by the District Level Committee, such rates shall be calculated as per the provisions of clause 16.

- (ii) Institution shall include educational institutions, training institutions, coaching institutions, hostels, hospitals, banks, financial institutions, insurance companies etc..

4. Rates of land for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes

Rates of land converted for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes or agriculture land is being used for Solar Power Plant, Solar Park, Wind Power Plant or Hybrid Power Plant purposes shall be equal to two times of the rates of agriculture land of that area but if such rates are more than the rates determined by the RIICO in nearest RIICO Industrial Area then equal to the rates determined by the RIICO in that nearest RIICO Industrial Area.

(w)

5. Rates of land for agro-industrial purposes

Rates of land converted for agro-industrial purposes or agriculture land being used for agro-industrial purposes shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

6. Rates of land for mining purposes

- (i) In case of agriculture land purchased for mining purposes or agriculture land in respect of which consent deed is executed between land owner and lessee for mining purposes shall be equal to three times of the rates of agriculture land of that area.
- (ii) In case of new mining lease (whether granted through auction or otherwise), renewal of mining lease or transfer of mining lease shall be equal to four times of the rates of agriculture land of that area.

7. Rates of land for Resort purposes

Rates of the land converted for resort purposes or agriculture land is being used for resort purposes shall be equal to seventy five percent of the rates of commercial land of that area.

8. Rates of land for hotel, motel, guest house and restaurant purposes

Rates of the land converted for hotel, motel, guest house and restaurant purposes or land is being used for the above purposes shall be equal to the rates of the commercial land of that area.

9. Rates of land for marriage garden purposes

Rates of the land converted for marriage garden purposes or agriculture land is being used for marriage garden purposes shall be equal to fifty percent of the rates of commercial land of that area.

10. Rates of agriculture land purchased by companies, firms or institutions

Rates of the agriculture land purchased by companies, firms or institutions shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

11. Rates of land for farm house purposes

Rates of the agriculture land is being used for farm house purposes or land converted for farm house purposes shall be equal to three times of the rates of agriculture land of that area.

12. Rates of residential and commercial plots having area of 1000 sq. meters or more

Rates of residential or commercial plots having area of 1000 sq. meters or more shall be as follows:-

S. No.	Area	Valuation based on the rates recommended by District Level Committee or determined by the State Government shall be reduced as under
1.	1000 to 2000 sq. meters	5 %
2.	More than 2000 sq. meters and upto 3000 sq. meters	10%
3.	More than 3000 sq. meters	15%

13. Rates of corner plots

Rates of corner plots, except plots of agriculture land having area more than 1000 sq. meter, shall be 10% more.

14. Rates of land for which mixed land use patta/lease deed has been issued

On sale or transfer of vacant land, for which patta/lease deed of mixed land use has been issued by Development Authorities or Urban Improvement Trusts or other Local Bodies, the rate of such land shall be equal to 50% of the rate of commercial land of that area.

15. Rates of land under different land use

Rates of land which is being used for the purpose other than its approved use shall be equal to the rates of the category of its actual use or its approved use, whichever is higher at the time of execution of the instrument. Valuation shall not be done on the basis of future use of any land.

16. Rates of agriculture, residential and commercial land of a particular area where rates of such land are not recommended by the District Level Committee

- (i) Rates of agriculture land shall be equal to one third of the rates of residential land of that area;
- (ii) Rates of residential land shall be equal to one third of the rates of commercial land of that area; and
- (iii) Rates of commercial land shall be equal to three times of the rates of residential land of that area.

17. Rates of agriculture land having area upto 2000 sq. meter situated within the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 2000 sq. meter situated in urban areas or urbanisable limits or in periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation:(i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale and gift.

- (ii) Where in the instrument of sale or gift of agriculture land, the number of buyers or donees are more than one and share of any buyer or donee is 2000 square meter or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

18. Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the limits of periphery belt of urban areas

Rates of agriculture land having area upto 500 sq. meter situated outside the periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), except where such land comprises in a single khasra or is in single holding or where such land is purchased by a khatedar of the adjoining agriculture land, shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale and gift.

- (ii) Where in the instrument of sale or gift of agriculture land, the number of buyers or donees are more than one and share of any buyer or donee is 500 square meters or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area.

19. Rates of land for mobile tower purposes

Rates of land being used for mobile tower purposes or land leased out for mobile tower purposes shall be equal to the rates of commercial land of that area.

②

20. Rates of land for poultry farm, dairy or fisheries purposes

Rates of agriculture land converted for poultry farm, dairy or fisheries purposes or is being used for poultry farm, dairy or fisheries purposes shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

21. Rates of land for tourism unit purposes

Rates of land converted or being used for tourism unit as defined in the Tourism Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time, excluding the units specified in clause 22 and 23 shall be equal to the rates of industrial land of that area.

22. Rates of land for resort, sports resort, health resort, spa, camping site, amusement park and animal safari park purposes

Rates of land converted or being used for resort, sports resort, health resort, spa, camping site, amusement park or animal safari park as defined in the Tourism Policy/Scheme issued by the State Government, from time to time, shall be equal to the rates of the agriculture land of that area.

23. Rates of land for convention centre, community centre and community hall purposes

Rates of land converted or being used for convention centre, community centre or community hall purposes in urban area shall be equal to the rates of residential land of that area and in rural areas shall be equal to the rates of agriculture land of that area.

Explanation: Rates specified in clause 21, 22 and 23 above shall be applicable only when the purchaser or leaseholder, as the case may be, submits the Entitlement Certificate or approval in this regard issued by the appropriate authority under the prevailing Rajasthan Investment Promotion Scheme. Such Entitlement Certificate or approval shall not be treated as an Entitlement Certificate or approval for exemption or concession from stamp duty.

24. Rates of land for warehouse purposes

Rates of land converted or being used for warehouse purposes shall be equal to the rates of the industrial land of that area.

25. Rates of lands other than agriculture lands situated on the roads within limits of urban areas having width of more than 40 feet

Rates of lands other than agriculture lands situated on the roads within limits of urban areas having width of more than 40 feet shall be as under:-

S.No.	Width of Road	Rate applicable
1.	40 feet	As prescribed by the concerned District Level Committee.
2.	More than 40 feet and upto 60 feet	By increasing 10% of the rate applicable on the land situated on 40 feet wide road.
3.	More than 60 feet but less than 100 feet	By increasing 15% of the rate applicable on the land situated on 40 feet wide road.
4.	100 feet or more	By increasing 20% of the rate applicable on the land situated on 40 feet wide road.

Explanation: In case of difference of rates determined by DLC and by the State Government the higher rates shall be applicable.

Note: (i) The rates specified in clause 1 to 25 above shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or any other Court but

W

stamp duty already paid shall not be refunded. However in pending cases, stamp duty shall not be charged more than the stamp duty payable on the date of execution of such instrument.

- (ii) "that area", used with reference to rates of land of a particular category, means the area falling within the same DLC circle.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-129]

By order of the Governor,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N Didel', enclosed within a circular scribble.

(Nathmal Didel)

Special Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2026

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए भूमि के निम्नलिखित प्रवर्गों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए इसके द्वारा निम्नानुसार दरें अवधारित करती है :-

1. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें,-

- (i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी; और
- (ii) अन्य मामलों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी किन्तु यदि ऐसी दरें निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।

2. रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें,-

- (i) संस्थानिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी;
- (ii) आवासीय भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी; और
- (iii) वाणिज्यिक भूमि के मामले में, रीको द्वारा अवधारित औद्योगिक भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

3. रीको औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

संस्थानिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या संस्थानिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दर के डेढ़ गुना के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) उन क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि की दरों की जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी है, वहां ऐसी दरें खण्ड 16 के उपबंधों के अनुसार संगणित की जायेंगी।
(ii) संस्था में शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं, छात्रावास, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि सम्मिलित होंगी।

4. सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर पार्क, पवन ऊर्जा संयंत्र या हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दो गुना के समतुल्य होंगी

(W)

किन्तु यदि ऐसी दरें निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों से अधिक हैं तब उस निकटतम रीको औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा अवधारित दरों के समतुल्य होंगी।

5. एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या एगो-इण्डस्ट्रीयल प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

6. खनन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

(i) खनन प्रयोजनों के लिए क्रय की गयी कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि, जिसके संबंध में खनन प्रयोजनों के लिए भू-स्वामी और पट्टेदार के मध्य सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, के मामले में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी।

(ii) नये खनन पट्टे (चाहे नीलाम के माध्यम से या अन्यथा मंजूर किया गया हो), खनन पट्टे के नवीकरण या खनन पट्टे के अंतरण के मामले में, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।

7. रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या रिसोर्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के पचहत्तर प्रतिशत के समतुल्य होंगी।

8. होटल, मोटल, गेस्ट हाऊस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

होटल, मोटल, गेस्ट हाऊस और रेस्टोरेंट प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

9. मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के पचास प्रतिशत के समतुल्य होंगी।

10. कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें

कंपनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

11. फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी।

12. 1000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय और वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें

1000 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र. सं.	क्षेत्रफल	जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी या राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार घटाया जायेगा
1.	1000 से 2000 वर्गमीटर	5%
2.	2000 वर्गमीटर से अधिक और 3000 वर्गमीटर तक	10%
3.	3000 वर्गमीटर से अधिक	15%

(W)

13. कोने के भूखण्डों की दरें

1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कृषि भूमि के भूखण्ड को छोड़कर, कोने के भूखण्डों की दरें 10 प्रतिशत अधिक होंगी।

14. ऐसी भूमि की दरें जिनके लिए मिश्रित भू-उपयोग पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है

रिक्त भूमि के विक्रय या अन्तरण पर, जिसके लिए विकास प्राधिकरणों या नगर सुधार न्यायालयों या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित भू-उपयोग का पट्टा/पट्टा विलेख जारी किया गया है, ऐसी भूमि की दर उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी।

15. विभिन्न भू-उपयोगों के अधीन भूमि की दरें

भूमि, जो उसके अनुमोदित उपयोग से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है, की दरें इसके वास्तविक उपयोग या इसके लिखत के निष्पादन के समय अनुमोदित उपयोग के प्रवर्ग की दरों, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होंगी। किसी भूमि के भावी उपयोग के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

16. किसी विशिष्ट क्षेत्र की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की दरें जहां ऐसी भूमि की दरें जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गयी हैं

- (i) कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के एक तिहाई के समतुल्य होंगी;
- (ii) आवासीय भूमि की दरें, उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के एक तिहाई के समतुल्य होंगी; और
- (iii) वाणिज्यिक भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के तीन गुना के समतुल्य होंगी।

17. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं के भीतर अवस्थित 2000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी में अवस्थित 2000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें विक्रय और दान की लिखत पर लागू होंगी।

- (ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय या दान की लिखत में, क्रेताओं या आदाताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता या आदाता का हिस्सा 2000 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

18. नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी की सीमाओं से बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों की उपांत पट्टी के बाहर अवस्थित 500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें, सिवाय वहां, जहां ऐसी भूमि एकल खसरा में समाविष्ट है या एकल धृति में है या

जहां ऐसी भूमि, संलग्न कृषि भूमि के खातेदार द्वारा क्रय की गयी है, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें विक्रय और दान की लिखत पर लागू होंगी।

(ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय या दान की लिखत में, क्रेताओं या आदाताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता या आदाता का हिस्सा 500 वर्गमीटर या उससे कम है, भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य, उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर से संगणित किया जायेगा।

19. मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि या मोबाइल टावर के प्रयोजनों के लिए पट्टाकृत की जाने वाली भूमि की दरें उस क्षेत्र की वाणिज्यिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

20. पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज़ के प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज़ के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि या पोल्ट्री फार्म, डेरी या फिशरीज़ के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा रही कृषि भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

21. पर्यटन इकाई प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

खण्ड 22 और 23 में विनिर्दिष्ट इकाइयों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित पर्यटन इकाई के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

22. रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क और एनिमल सफारी पार्क प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैम्पिंग साइट, एम्यूजमेंट पार्क या एनिमल सफारी पार्क के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

23. कन्वेंशन सेंटर, सामुदायिक केन्द्र और सामुदायिक हाल प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

कन्वेंशन सेंटर या सामुदायिक केन्द्र या सामुदायिक हाल प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, नगरीय क्षेत्र में उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य और ग्रामीण क्षेत्रों में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त खण्ड 21, 22 और 23 में विनिर्दिष्ट दरें केवल तभी लागू होंगी जब क्रेता, या यथास्थिति, पट्टाधारक इस संबंध में विद्यमान राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम के अधीन समुचित प्राधिकारी के द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन प्रस्तुत करता है। ऐसे हकदारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन को स्टाम्प शुल्क से छूट या रियायत के लिए हकदारी प्रमाणपत्र या अनुमोदन नहीं समझा जायेगा।

24. भाण्डागार प्रयोजनों के लिए भूमि की दरें

भाण्डागार प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित या प्रयुक्त की जा रही भूमि की दरें, उस क्षेत्र की औद्योगिक भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

25. नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों से लगी हुई कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दरें

(W)

नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों से लगी हुई कृषि भूमि से भिन्न भूमि की दरें निम्नानुसार होंगी:-


क्र.सं.	सड़क की चौड़ाई	लागू दरें
1.	40 फीट	संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा यथा विहित।
2.	40 फीट से अधिक और 60 फीट तक	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में दस प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
3.	60 फीट से अधिक किंतु 100 फीट से कम	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
4.	100 फीट या अधिक	40 फीट चौड़ी सड़क से लगी हुई भूमि पर लागू दरों में बीस प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण:- जिला स्तरीय समिति द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों की भिन्नता के मामले में उच्चतर दरें लागू होंगी।

- टिप्पण:-** (i) उपर्युक्त खण्ड 1 से 25 में विनिर्दिष्ट दरें निष्पादित या उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किंतु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। तथापि, लंबित मामलों में, स्टाम्प शुल्क ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख पर संदेय स्टाम्प शुल्क से अधिक प्रभारित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी विशिष्ट प्रवर्ग की भूमि की दरों के निर्देश के साथ प्रयुक्त "उस क्षेत्र" से, उसी जिला स्तरीय समिति वृत्त के भीतर आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-129]

राज्यपाल के आदेश से,



(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव।